



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938

No. 88]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

सा. का. नि. 111 (अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रसुविधाएँ उपलब्ध करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण नियम), 2016 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रसुविधाएँ उपलब्ध कराने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रसुविधाएँ उपलब्ध कराने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) नियमावली, 2016 में :—

(क) आरंभिक पैरा में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खण्ड (ब क)" के लिए, शब्द, कोष्ठक तथा "खण्ड (भ)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (थ) में, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(ग) नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9 क. डिजिटल लॉकर प्रणाली में प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जारी करना तथा डिजिटल लॉकर खाते से साझा किए गए प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों को वास्तविक दस्तावेजों के समतुल्य स्वीकार करना -- (1) अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार जारीकर्ता प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जारी करना शुरू कर सकता है तथा अनुरोधकर्ता उपभोक्ताओं के डिजिटल लॉकर खाते से साझा

किए गए डिजिटल रूप से (अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से) हस्ताक्षर किए गए प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों को वास्तविक दस्तावेजों के समतुल्य स्वीकार करना शुरू कर सकता है।

(2) जब किसी जारीकर्ता द्वारा उप-नियम (1) में उल्लिखित ऐसे प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जारी किए गए हैं अथवा डिजिटल लॉकर प्रणाली में डाले गए हैं तथा बाद में यूआरआई के जरिए किसी अनुरोधकर्ता द्वारा प्राप्त अथवा स्वीकार किए जाते हैं, तो इसे जारीकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीधे ही साझा किया हुआ माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- उप-नियम (2) के प्रयोजन से, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि जारी किए गए प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों के लिंक अनुरोधकर्ता को सत्य के एकल स्रोत पर ले जाते हैं, जैसे कि जारीकर्ता के निधान, तो स्वतः सत्यापन हो जाएगा";

(घ) नियम 12 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

**"विवाद समाधान के लिए डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति--** (1) प्रत्येक डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम तथा उसके संपर्क के ब्यौरे और ऐसे तंत्र का प्रकाशन करेगा जिसके द्वारा कोई भी उपयोगकर्ता अथवा व्यथित व्यक्ति जो निम्न के फलस्वरूप परेशान होता है -

(क) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल लॉकर या डिजिटल लॉकर प्रणाली का अभिगम या इस्तेमाल; अथवा

(ख) अनुज्ञापन निबंधनों की शर्तों का उल्लंघन; अथवा

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के अंतर्गत शामिल नहीं की गई कोई अन्य शिकायत,

ऐसे अभिगम अथवा इस्तेमाल अथवा अनुज्ञापन निबंधनों की शर्तों के उल्लंघन अथवा ऐसी किसी अन्य शिकायत के लिए ऐसे शिकायत अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत अधिसूचित कर सकता है।

(2) शिकायत अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर शिकायतों का निपटारा करेगा।

(3) कोई भी व्यथित व्यक्ति शिकायत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर डिजिटल लॉकर प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(ड.) नियम 17 में, (i) उप-नियम (2) में, "डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता निम्नलिखित का" शब्दों के बाद, "वार्षिक संपरीक्षा" शब्द सम्मिलित किए जाएंगे।

(ii) खण्ड (क) में, "की अर्द्धवार्षिक संपरीक्षा" शब्द निकाल दिए जाएंगे;

(iii) खण्ड (ख) में, "की त्रैमासिक संपरीक्षा" शब्द निकाल दिए जाएंगे।

[फा.सं. 3(29)/2016-ईजी-1।]

अजय कुमार, अपर सचिव

**टिप्पणी** – प्रधान नियमावली दिनांक 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 – उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 711(अ) के जरिए प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****NOTIFICATION**New Delhi, the 8<sup>th</sup> February, 2017

**G.S.R. 111(E).** — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016, namely :—

1. (1) These rules may be called the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016,-

(a) in the opening paragraph, for the word, brackets and letter “clause (wa)”, the word, brackets and letter “clause (x)” shall be substituted;

(b) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (q), for the word “License”, the word “Licence” shall be *substituted*;

(c) after rule 9, the following rule shall be *inserted*, namely:—

**“9A. Issuing certificates or documents in Digital Locker System and accepting certificates or documents shared from Digital Locker Account at par with Physical Documents.—**(1) Issuers may start issuing and Requesters may start accepting digitally (or electronically) signed certificates or documents shared from subscribers’ Digital Locker accounts at par with the physical documents in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

(2) When such certificate or document mentioned in sub-rule (1) has been issued or pushed in the Digital Locker System by an issuer and subsequently accessed or accepted by a requester through the URI, it shall be deemed to have been shared by the issuer directly in electronic form.

**Explanation.—** For the purpose of sub-rule (2), it is hereby clarified that if the links of the issued certificates or documents take the requester to the single source of truth, such as issuer repositories, automatic verification happens.”;

(d) for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:-

**“Appointment of grievance officer by the Digital Locker service provider for dispute resolution.—** (1) Every Digital Locker service provider shall publish on its website the name of grievance officer and his contact details as well as mechanism by which any users or aggrieved person who suffers as a result of -

(a) access or usage of Digital Locker or Digital Locker system by any unauthorised person; or

(b) violation of licensing terms; or

(c) any other complaints not covered under clauses (a) and (b) above,

may notify their complaints against such access or usage or violation of licensing terms or any other complaints to such grievance officer.

(2) The grievance officer shall redress the complaints within one month from the date of receipt of complaint.

(3) Any aggrieved person may appeal to the Digital Locker Authority against the order of the Grievance Officer within a period of fifteen days from the date of receipt of such order.”;

(e) in rule 17, (i) in sub-rule (2), after the words “The Digital Locker service provider shall conduct”, the words “yearly audit of” shall be *inserted*;

(ii) in clause (a), the words “half yearly audit of” shall be *omitted*;

(iii) in clause (b), the words “a quarterly audit of” shall be *omitted*.

[F.No. 3(29)/2016-EG-II]  
AJAY KUMAR, Addl. Secy.

**Note.—**The principal rules were published vide number G.S.R. 711(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 – Sub-section (i), dated the 21<sup>st</sup> July, 2016.